रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED NO. D (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No.....
Date.....
GOVT. OF INDIA

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 102] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 18, 1979/वैशाख 28, 1901

No. 102] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 18, 1979/VAISAKHA 28, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 18 मई, 1979

संकल्प

एफ. सं. 98(3)-इंश्योरेंस 2/78.—वर्ष 1956 से निगम की स्थापना के बाद आर्थिक परिस्थितियों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में व्यापक परिवर्तन हुए हैं और अब ग्रामीण विकास करने, बेरोजगारी को दूर करने और अनिवार्य सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करने पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है । जीवन बीमे के विस्तार के साथ-साथ पालिसीहोल्डरों को प्रदान की जाने वाली सेवा और लाभों के संबंध में आकांक्षाएं भी खूब बढ़ गई हैं और इस संबंध में जीवन बीमा कार्य के और अधिक लाभकर प्रबन्ध, बेहतर प्रतिफल तथा पालिसीहोल्डरों को प्रदान की जाने वाली सेवा में सुधार और निवेश संबंधी नीति को नई दिशा देने के लिए मांग की जाती रही है । इस संबंध में कई सुझाव दिए गए हैं जिनके अनुसार वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निगम के संगठनात्मक ढांचे में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है । अतः यह नितांत आवश्यक है कि बीमा कराने वालों और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की बदलती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जीवन बीमा उद्योग के ढांचे, कार्य-व्यापार और निवेश संबंधी नीति को उसके अनुकूल बनाया जाए । अतः सरकार ने सभी बड़े-बड़े पहलुओं से निगम के कार्यों की समीक्षा करने और उनमें सुधार लाने के उपायों का सुझाव देने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है ।

इस समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे :

अध्यक्ष :

श्री ईडा सेल्वियन, सदस्य राज्य-सभा ।

सदस्य :

(1) प्रो. वी. एम. दांडेकर,
निदेशक,
गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान, पुणे और निदेशक
भारतीय राजनीतिक—अर्थव्यवस्था विद्यालय, लोनावाला ।

(2) श्री ए. राजगोपालन,
भूतपूर्व अध्यक्ष, भारतीय साधारण बीमा निगम,
बम्बई ।

(3) डा. एस. के चक्रवर्ती,
पार्थिव वित्तीय प्रबन्ध,
भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता ।

(4) डा. डी पी. सिंह,
उपकुलपति,
राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना (बिहार) ।

(5) श्री आर. एम. मेहता,
भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक,
भारतीय जीवन बीमा निगम,
बम्बई ।

(6) श्री एस. रामनाथन,
अपर सचिव, वित्त मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यकारी निदेशक श्री ए. श्रीनिवासन इस समिति के सचिव होंगे ।

3. इस समिति के विचारणीय विषय ये होंगे :

(क) राष्ट्रीयकरण के बाद से जीवन बीमा कार्य की प्रगति की समीक्षा करना, इसके विस्तार, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इसके विस्तार की क्षमता का मूल्यांकन करना और कारबार के विकास को तेज करने के लिए उपायों का सुझाव देना ;

(ख) क्षेत्रीय कर्मचारियों सहित विभिन्न स्तरों पर निगम के संगठन की जांच करना और ऐसे परिवर्तनों का सुझाव देना जो निगम के कार्यों में अधिक कुशलता लाने तथा किफायत करने में सहायक हों ;

(ग) पालिसीहोल्डरों को प्रदान की जाने वाली सेवा में सुधार लाने के लिए उपायों की सिफारिश करना ;

(घ) जीवन निधि में से किए जाने वाले निवेश की वर्तमान प्रणाली की जांच करना और ऐसे परिवर्तनों के लिए सुझाव देना जो पूंजी की सुरक्षा और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप निवेश से होने वाली आय में वृद्धि करने के लिए जरूरी समझे जाएं ; तथा

(ङ) कोई और सिफारिशें करना जो जीवन बीमा कारबार के कारगर प्रबन्ध के लिए अधिक लाभप्रद हों ।

4. समिति का मुख्यालय बम्बई में होगा । समिति के लिए सचिवालयिक सेवाओं की व्यवस्था भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा की जाएगी ।

5. समिति अपनी कार्यप्रणाली स्वयं तय करेगी और ऐसी सभी सूचना मांग सकेगी और साक्ष्य ले सकेगी जिसे वह जरूरी समझेगी ।

6. समिति अपनी रिपोर्ट छह महीने के अन्दर-अन्दर पेश कर देगी ।

मनमोहन सिंह, सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 18th May, 1979

RESOLUTION

F. No. 98(3)Ins. II/78.—Since the establishment of the Life Insurance Corporation of India in 1956, there have been vast changes in the economic scene and national priorities. Increasing emphasis is now being laid on rural development, removal of unemployment and provision of essential social services. With the growth of life insurance, expectations in respect of the service and benefits to the policy holders have gone up considerably and demands have been made for more economic management, better return and improvement in the service to policyholders, and reorientation of the investment policy. Suggestions have also been made for changes in the organisational set-up of the Corporation for achieving the desired objectives. It is necessary that the life insurance industry's structure, business operation and investment policy are geared to meet the changing requirements of the national economy and the insuring public. The Government have, therefore, decided to appoint a high-level Committee to review the Corporation's working in all major aspects and to suggest measures for improvement.

The Committee will consist of the following :—

Chairman :

Shri Era Sezhiyan, Member, Rajya Sabha.

Members :

1. Prof. V. M. Dandekar,
Gokhale Institute of Politics and Economics, Pune, and Director, Indian School of Political Economy, Lonavala.

2. Shri A. Rajagopalan,
Former Chairman of the General Insurance Corporation of India, Bombay.

3. Dr. S. K. Chakravarty,
Professor of Financial Management,
Indian Institute of Management,
Calcutta.

4. Dr. D. P. Singh, Vice-Chancellor,
Rajendra Agricultural University,
Patna (Bihar).

5. Shri R. M. Mehta,
Former Managing Director,
Life Insurance Corporation of India,
Bombay.

6. Shri S. Ramanathan,
Additional Secretary,
Department of Economy Affairs,
Ministry of Finance

2. Shri A. Srinivasan, Executive Director, Life Insurance Corporation, will act as Secretary of the Committee.

3. The terms of reference of the Committee will be as follows :—

(a) To review the progress of life insurance since nationalisation, to assess the potential for its growth, particularly in the rural areas, and to suggest steps for accelerating the development of the business ;

(b) to examine the organisation of the Corporation at different levels including the set up of the field force and to suggest such changes as may lead to greater efficiency and economy in operation ;

(c) to recommend measures for improving the quality of service to policyholders ;

(d) to examine the existing pattern of investments of the Life Fund and to suggest such changes, as may be considered necessary, for improving the return on the investments consistent with the safety of the capital and the national priorities ; and

(e) to make any other recommendations which will contribute to more effective management of life insurance business.

4. The headquarters of the Committee will be at Bombay. The Secretariat services will be provided by the Life Insurance Corporation of India.

5. The Committee will devise its own procedure and may call for such information and take such evidence as it may consider necessary.

6. The Committee will submit its report within six months.

MANMOHAN SINGH, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979